पैरोल (Parole)

प्रस्तुतकर्ता

डॉ. सुषमा शर्मा

सहा. प्राध्यापक – समाजशस्त्र

डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

पैरोल की परिभाषा –

1. पैरोल के तत्व
2. पैरोल की दशाएँ
3. पैरोल के लाभ
4. पैरोल से हानियाँ
5. प्रोबेशन और पैरोल

पैरोल की परिभाषा –

इलियट के अनुसार – "पैरोल अपराधी के कारागार या सुधारालय से उनकी समयावधि से पूर्व ही मुक्ति को कहते है, ऐसा पैरोल अधिकारी की सिफारिश पर होता है।"

सदलैण्ड के अनुसार – "पैराल किसी दण्ड अथवा सुधार संस्था से जिसमें कि अपराधी अधिकांश दण्ड भुगत चुका है, अच्छा व्यवहार बनाए रखने और साथ ही जब तक पूर्ण रिहाई न मिल जाए इस संस्था अथवा राज्य स्वीकृत किसी अन्य संस्था के अधीन तथा निर्देशन में रहने की शर्त पर मुक्त करने अथवा मुक्ति की स्थिति में रखने की क्रिया है।"

पैरोल के तत्व (Element of Parol)

१. उद्येश्य सुधारात्मक

२. सजा समाप्त होने के पूर्व अपराधी की रिहाई

३. अनुशासन अपराधियों की रिहाई

४. पैरोली से शर्तों का पालन करने की आशा

पैरोल की दशाएँ –
(Conditions of Parole)

पैरोली को निम्न शर्तों का पालन करना पड़ता है –

1. उन्माद लाने वाले वस्तुओं से अपने को दूर रखना
2. व्यवसाय बदलने की आज्ञा नहीं
3. अपनी स्थिति के बारे में लिखित सूचना
4. किसी भी हालत में कानून का उल्लंघन नहीं
5. पैरोल अधिकारी के अनुमति के बिना विवाह का अधिकार नहीं
6. पूर्व–अपराधियों से मिलने पर प्रतिबंध
7. अस्त्र–शस्त्र रखने पर मनाही
8. निद्रानाशक औषधियों का सेवन नहीं
9. जुआ खेलने पर मनाही

पैरोल के लाभ
(Merits of Parol)

पैरोल से होने वाले लाभ निम्न है –

- जेल जीवन की लम्बी अवधि को कम करता है
- जेल जीवन अच्छा होने वाले अपराधियों को ही छोड़ा जाता है
- सजा की समाप्ति से पूर्व मुक्ति है।
- पैरोल से छूटने पर व्यक्ति व्यवसाय का सम्पादन कर सकता है
- अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने में बाधा
- पैरोली अपने समुदाय और परिवार के साथ रहता है।
- समाज पर व्यक्तियों का भार कम हो जाता है।

पैरोल से हानियाँ
(Demarits of Parol)

पैरोल से होने वाले हानियाँ निम्न है –

- राजनैतिक हस्तक्षेव पैरोल का महत्वपूर्ण दोष है
- प्रशासनिक दृष्टि से पैरोल की दो प्रमुख दोष है –
  - अधिकारियों में प्रशिक्षण का अभाव
  - अधिकारियों में कर्तव्य निष्ठा का अभाव
- अपराधियों के चुनाव में सावधानी नहीं रखी जाती
- अपराधियों के पुनर्वास की पर्याप्त नहीं होती इस कारण दोष उत्पन्न हो जाते हैं।

पोबेशन और पैरोल
(Probation And Parol)

१. प्रोबेशन अपराधी घोषित होने के बाद की अवस्था है, जबकि पैरोल में सजा का एक भाग समाप्त कर लिया जाता है।

२. पैरोल में दण्ड का पलड़ा भारी रहता है।

३. प्रशासन की दृष्टि से भी प्रोबेशन और पैरोल में अंतर है

४. प्रोबेशन और पैरोल का उद्येश्य अपराधी का भविष्य में सुधार ही है।

६. पैरोल अपराधी पर एक प्रकार का एहसान होता है, किन्तु प्रोबेशन का एहसान से कोई सम्बन्ध नहीं है।